

वर्णनकर्ता: इस वीडियो में शरणार्थी दावा सुनवाई के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी और अपडेट हमारी वेबसाइट irb.gc.ca पर उपलब्ध है

संगीत: पूरे वीडियो में पीछे धीमा संगीत चलता है।

वर्णनकर्ता: यदि आप कैनेडा में शरणार्थी संरक्षण के लिए दावा करने के पात्र हैं, तो आपको कैनेडा का इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड के रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न या RPD में सुनवाई का अवसर मिलेगा।

कुछ स्थितियों में, RPD *बिना सुनवाई के* शरणार्थी संरक्षण के दावे को स्वीकार कर सकता है। यदि आप अपना साक्ष्य पहले भेज देते हैं, तो RPD इसकी समीक्षा करेगी और बिना सुनवाई के आपके दावे पर निर्णय ले *सकेगी*।

यदि आपकी सुनवाई निर्धारित है और आपका दावा सुनवाई के लिए तैयार है, तो RPD आपको सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के साथ '*नोटिस टू अपीयर*' नामक एक दस्तावेज़ भेजेगा।

वर्णनकर्ता: शरणार्थी दावा प्रक्रिया में आपकी सहायता के लिए किसी पेशेवर को नियुक्त करने पर विचार करें। इन पेशेवरों को "काउंसल" कहा जाता है। वे वकील या इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर, आप नोटरी पब्लिक या पैरालीगल को भी काउंसल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

यदि आप काउंसल नियुक्त करना चाहते हैं, तो आपको यह काम यथाशीघ्र करना चाहिए। आप अपने काउंसल को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जब तक कि आप अपने प्रांत में लीगल एड एजेंसी से सहायता प्राप्त करने के पात्र न हों। लीगल एड कार्यालयों की सूची IRB वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

यदि आपके पास काउंसल हैं, तो वे आपकी सुनवाई में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी सुनवाई से पहले, वे आपके शरणार्थी दावे पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको सलाह देंगे कि आपको अपने दावे के समर्थन में क्या साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए और वे आपकी सुनवाई की तैयारी में आपकी सहायता करेंगे।

वर्णनकर्ता: यदि आप किसी मित्र, परिवार के सदस्य या वॉलंटियर को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए कहते हैं, तो वे आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकते। इस स्थिति में, व्यक्ति को *नोटिस ऑफ रिप्रेज़ेंटेश विदाउट अ फी और अदर कंसीडरेशन (Notice of Representation Without a Fee or other Consideration)* फॉर्म भरना होगा।

आप इस फॉर्म को IRB वेबसाइट के शरणार्थी दावा अनुभाग में फॉर्म के अंतर्गत पा सकते हैं।

आपको किसी के द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का प्रतिनिधित्व करने का अर्थ है कि आपको यह चुनना होगा कि आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तथा अपने दावे के समर्थन में क्या तर्क देंगे।

वर्णनकर्ता: अपनी सुनवाई में भाग लेने से पहले, यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी सुनवाई में कौन-कौन आ सकता है और क्यों।

वर्णनकर्ता: मैबर वह व्यक्ति होता है जो यह निर्णय लेता है कि आपको शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं।

वे दावा प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा RPD को पहले उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर करेंगे। वे आपसे आपके शरणार्थी दावे के बारे में प्रश्न पूछेंगे और मामले के बारे में आप या आपके काउंसल की कही गई बात सुनेंगे, और फिर वे आपके दावे के बारे में निर्णय लेंगे।

वर्णनकर्ता: कुछ केसों में, मिनिस्टर काउंसल सुनवाई में भाग लेते हैं। यह वह व्यक्ति नहीं है जिसे आपने काउंसल के रूप में नियुक्त किया होगा।

मिनिस्टर काउंसल कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज़ एजेंसी या इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कैनेडा के लिए काम करता है और मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी या मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप का प्रतिनिधित्व करता है।

मिनिस्टर काउंसल केवल तभी भाग लेते हैं जब उन्हें आपके दावे के बारे में चिंताएं हों या वे उसके विरोध में हों। यदि उन्होंने भाग लेने का निर्णय लिया है तो वे RPD और आपको *नोटिस ऑफ इंटरवेंशन* भेजकर आपको सूचित करेंगे।

आपको यह नोटिस आपकी सुनवाई से 10 दिन पहले मिल जाना चाहिए। मिनिस्टर काउंसल का पता उस नोटिस पर होगा।

यदि मिनिस्टर काउंसल आपकी सुनवाई में भाग ले रहे हैं, तो आपको अपने दावेदार के दस्तावेजों की एक प्रति उन्हें भेजनी होगी तथा RPD को बताना होगा कि आपने ऐसा किया है।

मिनिस्टर काउंसल आपके और RPD के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके लिखित रूप से भाग ले सकते हैं, या वे आपकी सुनवाई में उपस्थित होकर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं।

याद रखें, यदि मिनिस्टर काउंसल भी इसमें भाग लेता है, तो भी RPD मैबर आपके दावे पर निर्णय लेता है।

वर्णनकर्ता: आप अपनी सुनवाई के लिए निःशुल्क दुभाषिया भी रख सकते हैं।

जब आप पहली बार कैनेडा पहुंचे, तो आपने बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म भरा था। उस फॉर्म पर आप दुभाषिए की मांग कर सकते हैं।

यदि आपने उस समय दुभाषिए की मांग नहीं की थी, लेकिन आप चाहते हैं, तो आप दुभाषिए के लिए अनुरोध करने हेतु RPD को लिख सकते हैं। RPD को यह अवश्य बताएं कि आप अपने दुभाषिए से कौन सी भाषा और बोली बोलना चाहते हैं। यदि आप दुभाषिए का अनुरोध करते हैं, तो RPD आपकी सुनवाई के लिए बिना किसी शुल्क के दुभाषिया ढूंढ देगा।

दुभाषियों को आपकी सुनवाई में कही गई किसी भी बात को किसी के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है।

यदि आपको सुनवाई के दौरान अपने दुभाषिए को समझने में परेशानी हो रही है, तो तुरंत मैबर को बताएं।

वर्णनकर्ता: आपकी सुनवाई में एक गवाह भी उपस्थित हो सकता है। यह वह व्यक्ति होता है जो आपकी स्थिति के बारे में जानता है और ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है जिससे मैबर को आपके शरणार्थी दावे के बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सके।

यदि आप चाहते हैं कि आपकी सुनवाई में कोई गवाह गवाही दे, तो सुनवाई से कम से कम 10 दिन पहले RPD को लिखित रूप में सूचित करें।

जब आप RPD को लिखते हैं, तो आपको प्रत्येक गवाह की पहचान करनी चाहिए, जिसकी आप अपनी सुनवाई में गवाही देना चाहते हैं, उनसे आपका संबंध क्या है, वे गवाही क्यों दे रहे हैं, उनकी गवाही में कितना समय लग सकता है और क्या उन्हें दुभाषिए की आवश्यकता है।

वर्णनकर्ता: आप अपनी सुनवाई के दौरान एक पर्यवेक्षक को भी रख सकते हैं। यह कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र हो सकता है, जिसे आप भावनात्मक समर्थन के लिए अपने साथ रखना चाहेंगे। सुनवाई आम जनता के लिए खुली नहीं है, लेकिन आपकी सहमति से पर्यवेक्षकों को अनुमति दी जाती है।

पर्यवेक्षक आपकी सहायता के लिए वहां मौजूद हैं और वे सुनवाई में भाग नहीं ले सकते।

वर्णनकर्ता: आपकी सुनवाई वर्चुअल सुनवाई या यव्यक्तिगत सुनवाई के रूप में निर्धारित की जा सकती

है। वर्चुअल सुनवाई के लिए आपको एक निजी, शांत स्थान पर होना होगा।

आपके पास सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप वेबकैम वाले कंप्यूटर या टैबलेट का उपयोग करें और इंटरनेट कनेक्शन में समस्या होने की स्थिति में फोन का उपयोग करें।

आपकी वर्चुअल सुनवाई *माइक्रोसॉफ्ट टीम्स* पर आयोजित की जाएगी।

यदि आपको इसे सेट अप करने में सहायता की आवश्यकता है, तो हमारी वेबसाइट पर एक मार्गदर्शिका उपलब्ध है।

आपकी सुनवाई से लगभग पांच दिन पहले, RPD आपको या आपके काउंसल को सुनवाई का लिंक ईमेल करेगा। जब सुनवाई का दिन आए तो वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने के लिए लिंक पर क्लिक करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका ऑडियो और वीडियो काम कर रहा है, आपको सुनवाई शुरू होने से कम से कम 15 मिनट पहले सुनवाई से जुड़ना चाहिए।

यदि आप सुनवाई में जल्दी शामिल होते हैं, तो आपको वर्चुअल लॉबी में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

निर्धारित सुनवाई से लगभग 15 मिनट पहले, एक IRB कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थित होगा। वे आपका स्वागत करने, यह सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी सुनवाई के लिए तैयार हैं।

अपने सभी दस्तावेज़ पास रखें। आपको अपने *बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म* और RPD को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की प्रतियों की आवश्यकता होगी। आपकी सुनवाई के दौरान आपसे इस साक्ष्य के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

वर्णनकर्ता: यदि आपके पास निजी, शांत स्थान या सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या वर्चुअल सुनवाई के संबंध में आपकी कोई अन्य चिंता है, तो कृपया हमें यथाशीघ्र बताएं।

आप IRB कार्यालय में आकर IRB कंप्यूटर का उपयोग करके भी वर्चुअल रूप से सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

आप IRB के क्षेत्रीय संपर्क सूचना पृष्ठ पर सूचीबद्ध RPD रजिस्ट्री से संपर्क करके IRB उपकरण का उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं।

यदि आप किसी सुनवाई की मांग करते हैं, जिसमें आप और निर्णयकर्ता को IRB कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़े, तो आपको हमें इसका कारण बताना होगा।

आप व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आवेदन फॉर्म भरकर व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। आप यह फॉर्म हमारी वेबसाइट पर पा सकते हैं।

हमारा सुझाव है कि आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म का उपयोग करें, क्योंकि यह फॉर्म आपको यह समझाने में मदद करेगा कि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध क्यों कर रहे हैं।

वर्णनकर्ता: कुछ स्थितियों में, RPD आपके दावे की सुनवाई व्यक्तिगत रूप से करने का समय निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मिनिस्टर काउंसल आपके दावे में भाग ले रहे हैं, तो वे अनुरोध कर सकते हैं कि आपकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो, तथा सभी लोग एक ही कमरे में उपस्थित हों। यदि ऐसा है, तो आपके उपस्थित होने के नोटिस में आपको व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए जाएंगे।

वर्णनकर्ता: यदि आपकी सुनवाई IRB कार्यालय में हो रही है, तो यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप और आपके गवाह और पर्यवेक्षक सुनवाई से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें।

जब सभी लोग फ्रंट डेस्क पर पहुंच जाएंगे और चेक-इन कर लेंगे, तो आपको उस कमरे में ले जाया जाएगा जहां आपकी सुनवाई होगी।

अपने बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म, नोटिस टू अपीयर, तथा RPD को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां, जिनमें आपके मूल दस्तावेज भी शामिल हैं, लाना सुनिश्चित करें।

वर्णनकर्ता: चाहे आपकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो, किसी दूरस्थ स्थान से वर्चुअल हो या IRB परिसर से वर्चुअल हो, यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या अपेक्षा की जाए ताकि आप अपनी सुनवाई के लिए तैयार रहें।

वर्णनकर्ता: शरणार्थी दावा प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी के लिए, IRB की वेबसाइट पर जाएं या सामान्य पूछताछ के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1-833-931-5121 पर कॉल करें।

वर्णनकर्ता: आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारे कान्टैक्ट असपेज पर भी जा सकते हैं, जहां आपको यह जानकारी मिलेगी कि दस्तावेज कहां जमा करें और यदि आपके कोई प्रश्न हों तो हमसे कैसे संपर्क करें।